

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/पी-76/2019/ दिनांक:-

अधीक्षक,

पी0बी0एम0 सम्बद्ध वर्ग चिकित्सालय,
बीकानेर ।

विषय:- पूनम स्वामी पुत्री श्री अशोक स्वामी नर्स-2 (परिवीक्षाधीन) का अवकाश स्वीकृत बाबत ।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक 960 दिनांक 11.07.19

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में पूनम स्वामी पुत्री श्री अशोक स्वामी नर्स-2 (परिवीक्षाधीन) के दिनांक 16.04.17 से 01.10.17 तक 167 दिवस तक की अवधि का अवकाश स्वीकृत करने सम्बन्धी प्रकरण में लेख है कि कार्मिका के जीए-45 में अवकाश अवधि 167 स्थान पर 169 दिवस होती हैं। कार्मिका संशोधित जीए-45 प्राप्त कर भिजवावे, साथ ही कार्मिका की प्रोबेशन अवधि कब पूर्ण होगी तथा कर्मचारी के असाधारण अवकाश पर रहने पर आप द्वारा क्या कार्यवाही की गई के सम्बन्ध में अवगत करावें।

-sd-

संयुक्त निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/पी-76/2019/1067

दिनांक:- 9/08/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1- सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।

2- प्रभासी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।

संयुक्त निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर